रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 727] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 26, 2013/चैत्र 5, 1935

No. 727] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 26, 2013/CHAITRA 5, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2013

का.आ. 835(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1035(अ), तारीख 7 मई, 2010 द्वारा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के 363.300 कि.मी. से 450.800 कि.मी. (रोहतक-बावल खण्ड) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यत:, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, मैसर्स कुरुक्षेत्र एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड, जो 27-11-2009 को प्रस्तुत की गई बोलियों के सफल बोलीदाता हैं, जिसका पंजीकृत कार्यालय हाउस नम्बर 755, सेक्टर-1, रोहतक-124 001 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है), के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 पर 363.300 (डिजाइन चैनेज 363.300 कि.मी.) से 450.800 कि.मी. (डिजाइन चैनेज 445.853) कि.मी. तक रोहतक-बावल सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" कहा गया है) का चार लेन में विकास करने तथा उक्त खण्ड के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है);

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008, जो सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किये गये थे (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूँजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का परिमाण और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 70.100 कि.मी. हेतु चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है), और दस करोड़ रुपये या अधिक की लागत वाले बाइपास के लिए नीचे सारणी 1 और 2 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सारणी 2 में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जायेगा और उक्त रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और प्राधिकरण से कार्य समापन प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो भी बाद में हो, समापन की तारीख तक, जैसाकि करार में विनिर्दिष्ट किया गया है, शुल्क संग्रहीत और उसे प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है ।

सारणी-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपये में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
भारी संनिर्माण मशीनरी (भ.सं.म.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ..) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (तीन से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

सारणी-2

स्थायी पुल, बाइपास या अथवा सुरंग की लागत (करोड़ रूपये में)	कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन या मिनी बस	ट्रक या बस	एचसीएम, इएमइ या (एमएवी)	बड़े आकार वाले वाहन
10 से 15	5	7.50	15	22	30
पंद्रह करोड़ रूपए से अधिक और एक सौ करोड़ रूपए तक, प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रूपए या उसके भाग के लिए	1	1.50	3	4.50	6

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी के लिए, शोध्य और संदेय होगा;

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
कि.मी/चैनेज. 370.420 (झज्जर जिले के डीघल गांव के पास)	37.100
कि.मी/चैनेज. 430.000 (रेवाड़ी जिले के गंगयाचा जाट गांव के पास)	33.000 (12.453 किमी लम्बे रेवाड़ी बाइपास को छोड़कर)

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए, विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की लम्बाई के लिए सारिणी 2 में उल्लिखित आधार दर पर निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों) के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा;

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)		लंबाई (कि.मी. में) बाइपास का नाम और लागत (करोड़ रूपये में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय होगा।	
कि.मी/चैनेज. 430.000 (रेवाड़ी जिले के गंगयाचा जाट गांव के पास)	लम्बाई 12.453 किमी	रेवाड़ी बाइपास	लागत 98.82 करोड़ रूपये

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2012-13 के लिए मासिक पास की दर 200.00/- रूपए (दो सौ रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किये जाएंगे, अर्थात्:-

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

6. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्त्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

8. सारणी 1 और 2 में यथा उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी की आधार दर के यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क की राशि और छूट की गणना परियोजना राजमार्ग की

लम्बाई के पूरे कर लिए भाग के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और प्रकाशित की जाएगी तथा इसके बाद उक्त नियमों के नियम 5 और रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा, परन्तु शर्त यह है कि शुल्क के पिछले संशोधन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। तदनुसार, शुल्क की वास्तविक राशि और छूट अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचारपत्र में प्रकाशित की जाएगी ।

[फा. सं. भाराप्रा/13013/सीओ/658/11-12/जीसी-रोहतक (रोहतक-बावल) बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2013

S.O. 835(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1035 (E), dated 07th May, 2010, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 363.300 to kilometer 450.800 (Rohtak – Bawal section) of National Highway No. 71 in the State of Haryana to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Kurukshetra Expressway Private Limited having its registered office House No. 755, Sector – I, Rohtak – 124 001 (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), the successful bidder for bids submitted on 27.11.2009 for the development of Rohtak - Bawal section from Km 363.300 (design chainage Km 363.300) to Km 450.800 (design chainage Km 445.853 on National Highway No. 71 (hereinafter referred to as the "said section") to four laning and operation and maintenance of the said section.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length of 70.100 km for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and at the rates specified in Table 2 for bypasses costing Rupees ten crore or more on the Type of Vehicles specified in Table 1 & 2 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the

date of commercial operation (COD) declared by the Authority and on getting the work completion certificate from the Authority or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

Table 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck	2.20
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (three to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

IndiaCode

Table 2

Cost of permanent bridge, bypass or tunnel (rupees in crores)	**Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle**	**Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus**	**Truck or Bus**	**HCM, EME or MAV**	**Oversized Vehicle**
10 to 15	5	7.50	15	22	30
For every additional rupees five crores or part thereof, exceeding rupees fifteen crores and up to rupees one hundred crores.	1	1.50	3	4.50	6

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km/Ch. 370.420 (near Dighal village in Jhajjar district)	37.100
Km/Ch. 430.000 (near Gangaycha Jatt village in Rewari district)	33.000 (excluding 12.453 km long Rewari Bypass)

1266 GI/13-2

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) at the following Toll Plaza(s) at the base rates mentioned in Table 2 for the length of bypass(es) specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) Name of bypass and cost (in Rs Crore) for which additional fee is payable		
Km/Ch. 430.000 (near Gangaycha Jatt village in Rewari district)	Length - 12.453 Km	Rewari Bypass	Cost - Rs.98.82 Crore

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 200.00 (Rupees Two Hundred only) for the year 2012-13 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

5. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

8. Based on the base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 & 2, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed portion of the length of the Project Highway, will be published and thereafter revised annually in accordance with rule 5 of the said Rules and provisions of the Concession Agreement provided that no revision shall be effected within a period of six months from the date of the preceding revision of fee. The actual amount of fee and the discounts shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

[F. No. NHAI/13013/CO/658/11-12/GC-Rohtak (Rohtak-Bawal) BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.